न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 54/2011

1 हरिशंकर पुत्र मोहनलाल।
2 मोहनलाल पुत्र रामकुमार समस्त जाति ब्राहम्ण निवासीगण कैलाश तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 भ्रमर कुमार पुत्र मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी कैलाश तहसील दांतारामगढ जिला सीकर।
2 तहसीलदार दांतारामगढ़।
3 उप पंजियक दांतारामगढ़।
4 ग्राम पंचायत खोरा जरिये सरपंच पंचायत समिति दांतारागढ़ जिला सीकर।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी
अधिनियम विरूद्व निर्णय व डिक्री दिनांक 28.02.2011
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर
मुकदमा नम्बर दावा संख्या 561/2002 बउनवनी भ्रमर कुमार
बनाम हरिशंकर आदि

उपस्थिति :

1. श्री जसवंत भूरिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सोहनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

–निर्णय–

दिनांकः–

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 561/2002 में पारित निर्णय दिनांक 28.02.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी भ्रमर कुमार ने दावा मातहत अदालत उपखण्ड अधिकारी दांतारामगढ़ जिला सीकर के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 आपस मे पिता पुत्र है। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की संयुक्त परिवारीय पैतृक कब्जे, काश्त हक व अधिकार की कृषि भूमियां खसरा नम्बर 314 रकबा 0.03 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 318 रकबा 0.3 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 319 रकबा 0.85 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 320 रकबा 0.09 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 321 रकबा 0.21 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 326 रकबा 0.69 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 386 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 387 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 484 रकबा 0.16 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 489 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 490 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 506 रकबा 0.28 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 513 रकबा 0.01 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 514 रकबा 0.51 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 515 रकबा 0.82 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 547 रकबा 0.47 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 548 रकबा 0.02 हैक्टेयर किता 17 कुल रकबा 4.26 हैक्टेयर ग्राम कैलाश तहसील दांतारामगढ़ जिला सीकर में अवस्थित है। उपरोक्त वर्णित भूमियों का काफी वर्षो पूर्व वादी के दावा रामकुमार का खाता, कब्जा काश्त था और ग्राम कैलाश के प्रथम भू–प्रबन्ध द्वारा जारी खतोनी बन्दोबस्त संवत 2011 से 2027 की वादी के दादा के नाम से है। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 वादग्रस्त भूमियों में शामिल में काबिज काश्त चले आ रहे थे। वादी के दादाजी का स्वर्गवास सं. 2007 मे होने के पश्चात कर्ता खानदान होने से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम खातेदारी इन्द्राज हुए। वादग्रस्त भूमियों का अभी तक बंटवारा नही हुआ है। प्रतिवादी संख्या 02 चिड़चिड़े स्वभाव का है और विगत कुछ समय से वादी से

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

नाराज चल रहे है। उक्त स्थिति का नाजायज लाभ उठा कर प्रतिवादी संख्या 01 ने प्रतिवादी संख्या 02 को बहला फुसला कर एक नुमाईशी विकय पत्र दिनांक 28.12.1998 को अपने हक में करवा लिया जो सर्वथा अवैध, अनधिकृत, अनुचित शून्य व प्रभावहीन है। वादी का उक्त वादग्रस्त कृषि भूमियों में प्रतिवादी सख्या 01 व 02 के समान ही हक व हिस्सा है। प्रतिफल के अभाव में विकय पत्र शून्य है। संयुक्त परिवार के किसी भी पारिवारिक आवश्यकता के अभाव में किया गया विकय पत्र शून्य व प्रभावहीन है। उपरोक्त विकय पत्र की आड़ में प्रतिवादी संख्या 02 भूमियों के हस्तान्तरण मे लगा हुआ है इसलिये उसको स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे। इस वाद के दायर होने पर प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जवाब में वाद के तथ्यों से इन्कार करते हुए दिनांक 07.05.1995 को आपसी सहमती हो गई थी। उक्त बंटवारे से वादी अपने कथनो से एस्टोप्ड है तथा दिनांक 19.01.1965 को प्रतिवादी संख्या 2 ने वादी को जरिये विकय पत्र आराजी खसरा 467 रकबा 9 बिस्वा अपनी निजी एवं स्वअर्जित आय से उपलब्ध करवाई थी। प्रतिवादी संख्या 01 के हक में हुए विकय पत्र को सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी है। इस कारण वादी का वाद चलने योग्य नही है एवं दावा इस न्यायालय के श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार का नही होने से दावा प्रथम दृष्टया ही खारिज होने योग्य है। कब्जे के अभाव में वादी का वाद खारिज फरमाया जावे। इस पर तनकीयात कायम कर के प्रतिवादी संख्या 01 व 02 को साक्ष्य का अवसर दिये बिना ही वादी का वाद गैर कानूनी व अनधिकृत रूप से निर्णित व डिकी कर दिये जाने से उससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा दिनांक 28.12.1998 को विवादित भूमियों का विकय प्रतिवादी संख्या 01 को किया जाकर पंजिकृत विकय पत्र तस्दीक करवाया गया है। इस विकय पत्र को वादी रेस्पोडेंट ने आदिनांक तक सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती नही दी है। विवादित भूमि पैतृक होने के सन्दर्भ में

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *
सत्यमेव जयते

विचारण न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट की साक्ष्य बन्द की गई है, अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया है। विचारण न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित होने के कारण विधि सम्मत नही माना जा सकता है। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.डी. 2001 पेज 258 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत कर अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमाण्ड करने का निवेदन किया है।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि विवादित भूमि पैतृक है खतोनी बन्दोबस्त संवत 2011 से 2027 में रामकुमार वल्द सुखदेव खातेदार दर्ज है। पैतृक भूमि होने से वादी का विवादित भूमि मे समान हिस्सा था। प्रतिवादी संख्या 02 को विक्रय करने का अधिकार नही था। विचारण न्यायालय ने पर्याप्त अवसर देकर अपीलांट की साक्ष्य बन्द की है। विचारण न्यायालय ने पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य का विस्तृत विवेचन कर विधि सम्मत रूप से वाद वादी डिक्री किया है। इसमें कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 02 द्वारा दिनांक 28.12.1998 को विवादित भूमियों का विक्रय प्रतिवादी संख्या 01 को किया जाकर पंजिकृत विक्रय पत्र तस्दीक करवाया गया है। इस विक्रय पत्र को वादी रेस्पोडेंट ने आदिनांक तक सक्षम सिविल न्यायालय में चुनौती नही दी है। विवादित भूमि पैतृक होने के सन्दर्भ में विचारण न्यायालय के समक्ष कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही किया है जिससे यह साबित होता हो कि विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 02 के नाम विरासत से दर्ज हुई है। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलांट की साक्ष्य बन्द की गई है, अपीलांट को साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान नही किया गया है। विचारण

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त के विपरित होने के कारण विधि सम्मत नही माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट की साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक **24.01.2022** को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 10-12-2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर